

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक

वीरेन्द्र कुमार मिश्र,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
नालन्दा, लखीसराय एवं बेगुसराय।

पटना-15 दिनांक- 29/3/16

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व-104-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-0002- हाट बाजार कचहरी इत्यादि का सुरक्षण 2701-लघु कार्य मांग संख्या-40 विपत्र कोड-एन0 2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 27,50,000/- (सताईस लाख पचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-231(9)/रा0 दिनांक-28.03.2016 के आलोक में राज्य में आयोजित प्रमुख मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित स्वीकृत राशि कुल 27,50,000/- (सताईस लाख पचास हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	औगारी धाम कार्तिक छठ मेला एवं सिलाव अंचल के बड़गाँव कार्तिक छठ मेला, नालन्दा।	2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)	2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)
2	अशोक धाम स्थित महाशिवरात्रि मेला 2015-16 लखीसराय।	7,00,000/- (सात लाख)	7,00,000/- (सात लाख)
3	बाबा हरिगिरि धाम माघी पूर्णिमा मेला एवं महाशिवरात्रि मेला 2016, बेगुसराय।	18,00,000/- (अठारह लाख)	18,00,000/- (अठारह लाख)
	कुल	27,50,000/- (सताईस लाख पचास हजार) रूपया मात्र।	27,50,000/- (सताईस लाख पचास हजार) रूपया मात्र।

- उपर्युक्त राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जाएगी।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 (वि0)(2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्र सं0-396/वि0 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर माँग संख्या इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- वर्ष 2014-15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान 2015-16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषय शीर्ष में प्रावधानिक राशि से किया जा सकता है।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के सातवी तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

क०प०उ०

8. आवंटित राशि की निकासी के बाद इसका व्यय राजस्व विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित पदाधिकारी समाहर्ता / अपर समाहर्ता / सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्ता / अंचल पदाधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,  


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-..... 87-(5)...../रा0, पटना-15, दिनांक- 29/3/16.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-..... 87-(5)...../रा0, पटना-15, दिनांक- 29/3/16.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना / सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय प्रशाखा-9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-..... 87-(5)...../रा0, पटना-15, दिनांक- 29/3/16.....

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-..... 87-(5)...../रा0, पटना-15, दिनांक- 29/3/16.....

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के संयुक्त सचिव।